

कार्यालय आदेश संख्या - 407/NG/2020/Engg/SPJ

श्री अजय कुमार, पुत्र -श्री फुदी पासवान, टी.एम.-IV/रायपुर मंडल, वेतनमान- 5200-20200+1800, (लेवल-1) जिनका अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/रायपुर का पत्र संख्या - ई/पीबी/आर/पीएण्डएम/2019/02/07/1771 दिनांक 31.07.2019 एवं इस मंडल के पत्र सं0 -Ka/283/Engg./MPEC/Own Request/SPJ Dated 08.11.2019 द्वारा स्वीकृत हैं। कर्मचारी मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/रायपुर का पत्र संख्या-E/PBR/P&EM/2019/02, Dated 19.08.2020 के द्वारा विरमित होकर इस मंडल में पदस्थापना हेतु दिनांक 25.08.2020 को रिपोर्ट किये है। श्री कुमार, एनओसी जारी होने की तिथि से 01 वर्ष 10 माह बाद इस कार्यालय में रिपोर्ट किये है, इस मंडल से जारी पत्र ECR-SPJOPERS(ORT)/27/2020. Dt- 01.07.2020 के आलोक में दिनांक 27.08.2020 को उनके वास्तविक मंडल में वापस कर दिया गया था। कर्मचारी द्वारा मंडल रेल प्रबंधक महोदय से साक्षात्कार के आलोक में प्राप्त आवेदन के आदेश May be accommodated in lieu of Ex Service Men. एवं वमई(समन्वय) के पदस्थापना आदेश के अनुपालन में श्री अजय कुमार को टी.एम.-IV वेतनमान 5200 - 20200 + 1800, लेवल-1 के पद पर एस.एस.ई.(पी.वे.)/सगौली के अधीन पदस्थापित किया जाता है। कर्मचारी के इस मंडल में रिपोर्ट करने की तिथि 25.08.2020 से 27.08.2020 तक प्रतिक्षा अवधि एवं दिनांक- 28.08.2020 से 31.08.2020 तक अकास्मिक अवकाश अवधि मानी जाएगी।

उक्त स्थानान्तरण, कर्मचारी के अन्तर रेलवे निजी अनुरोध पर है, अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

उपरोक्त वमई(समन्वय)/समस्तीपुर द्वारा आदेशित है।

श्री अजय कुमार का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



Ajay K



(आर. आर. लकड़ा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का0)
समस्तीपुर

स0 - का/283/इजा0/जविप्र/निजी अनुरोध/सम0

दिनांक 31.08.2020

प्रतिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/रायपुर, पिनकोड- 492008, कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए0पी0ए0आर0 एवं सेवा अभिलेख विधिक्षणोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजें।
2. वमई(समन्वय)/समस्तीपुर एवं सहायक मंडल ईजीनियर बापूधाम मोतिहारी।
3. वमविप्र./समस्तीपुर
4. सिसेई(पी.वे.)/सगौली - कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दे।
5. मुकार्याधी/इंजी0 संवर्ग-कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
6. मुकार्याधी/विविध बिल-कार्यालय में।
7. मुकार्याधी अनुश्रवण प्रकोष्ठ
8. मंडलमंत्रि/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी-आप सिसेई(पी.वे.)/सगौली को रिपोर्ट करे।
10. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (का0)
समस्तीपुर